



राजस्व श्रीमान् राजस्व माला म0प्र0 खालियर
प्र०क्र0 ।/17 विविध
॥ पुनर्गोक्तव्य ॥ भूर्गा । २०१८ । १६०८

~~प्र०क्र0 । १७ विविध~~
श्रीमान् राजस्व माला म0प्र0 खालियर
द्वारा आज दि. २६/५/१७ को
प्रस्तुत
कल्कि अौक कोटि
राजस्व मष्टल म.प्र. गवालियर

- 1—लोकेन्द्र सिंह पुत्र मानसिंह
- 2—श्रीमती सन्तो देवी पत्नी लोकेन्द्र सिंह
- 3—बाबूसिंह पुत्र हवलदारसिंह
- 4—सरनाम सिह पुत्र तेजसिंह
- 5—लक्ष्मीनारायण पुत्र तेजसिंह
- 6—हरीशंकर पुत्र तेजसिंह
- 7—संध्याबाई पुत्री तेज सिंह
- 8—विजयसिंह पुत्र केदारसिंह
- 9—रामेन्द्र सिंह पुत्र रूपसिंह
- 10—होशियार सिंह पुत्र कप्तानसिंह
- 11—उदयसिंह पुत्र कप्तानसिंह
- 12—लक्ष्मण सिंह पुत्र बाबूसिंह
- 13—मोतीसिंह पुत्र बाबूसिंह
- 14—पुत्तूसिंह पुत्र कप्तानसिंह
- 15—शान्तीशरण पुत्र कप्तानसिंह
- 16—सीमा पुत्री शान्तीशरण
- 17—गुड़डी पुत्री कप्तानसिंह
- 18—इन्द्रपाल पुत्र हमीर सिंह
- 19—सावित्री पत्नी इन्द्रपाल सिंह
- 20—विनोद पुत्र गुन्धी सिंह
- 21—रंजीत पुत्र गुन्धी सिंह
- 22—योगेश पुत्र गुन्धी सिंह
- 23—भूपेन्द्र सिंह पुत्र गुन्धी सिंह
- 24—सरनामसिंह पुत्र पोहपसिंह

.....आवेदक

बनाम

म0 प्र0 शासन अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 151 वे 152 जा०

दी० एवं सहपठित धारा 32 मोप्र०ग्रामसंहिता

श्रीमान जी,

संसोधन आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है -

- 1- यह कि मान्यनीय न्यायालय द्वारा प्र०क० R 198-1/17 रिव्यू में आदेश दिनांक 19/12/2016 को पारित किया गया है।
- 2- यह कि आदेश में आवेदक गण के पता ग्राम सिहोरी के रथान पर सिरोही अंकित हो गया है। इसी प्रकार आदेश के पैरा क० 2 की कलम नं० 3 सिहोरी के रथान पर सिरोही अंकित हो गया है। इसी प्रकरण आदेश के पैज क० 4 पैरा 2 की तीसरी पवित्र ग्राम सिहोरी के रथान पर सिरोही तथा इसी पैरा के नीचे से चौथी लाइन में प्रयोग के रथान प्रयाग टाइपिंग की गलती से अंकित हो गया है।
- 3- यह कि आदेश में आवेदक के पता ग्राम सिरोही के रथान पर सिहोरी आदेश के पैरा 2 की कलम नं० 3 ग्राम सिरोही के रथान पर सिहोरी तथा पैज 4 के पैरा 2 की तीसरी लाइन में ग्राम सिरोही के रथान पर सिहोरी तथा इसी पैरा के नीचे से चौथी लाइन में प्रयोग के रथान पर प्रयोग उक्त संसोधन किया जाकर पढ़े जाने का आदेश किया जाना न्यायहित में न्यायोचित होकर आवश्यक है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि आवेदक गण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त संसोधन मान्यनीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19/12/2016 में किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

दिनांक २६.१२.१७

प्रार्थी

लोकेन्द्र सिंह आदि.....आवेदक



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/विविध/मुरैना/भू-रा./2017/1608

रग्मन एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
27.7.17	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण शर्मा उपरिथित होकर धारा 151 व 152 जा० दी० एवं सहपठित धारा 32 म० प्र० भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण क्रमांक रिव्यु 198-एक/17 में पारित आदेश दिनांक 9.2.17 में आवेदकगण के पते में ग्राम सिहोरी के स्थान पर सिरोही अंकित हो गया है। आदेश के पैरा क्रमांक 2 की कॉलम न० 3 सिहोरी के स्थान सिरोही अंकित हो गया है। पेज क्रमांक 4 पैरा 2 की तीसरी पक्ति ग्राम सिहोरी के स्थान सिरोही हो गया है एवं इसी पैरा के नीचे से चौथी लाइन में प्रयोग के स्थान पर प्रयाग टाइप हो गया है।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा आवेदकगण के पते पर ग्राम सिहोरी के स्थान पर सिहोरी पढ़ा जावे। आदेश के पैरा क्रमांक 2 की कॉलम न० 3 में सिरोही के स्थान पर सिहोरी पढ़ा जावे। इसी प्रकार पेज क्रमांक 4 पैरा 2 की तीसरी पक्ति ग्राम सिरोही के स्थान पर सिहोरी पढ़ा जावे एवं इसी पैरा के नीचे से चौथी लाइन में प्रयोग के स्थान पर प्रयोग पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी।</p> 	